प्र. निर्णय से पहले गिरफ्तारी और कुर्की से संबंधित नियमों का वर्णन कीजिए।

Describe the rules relatings to arrest and attachment before judgement.

उ - **निर्णय के पूर्व गिरफ्तारी और कुर्की**

निर्णय के पूर्व गिरफ्तारी न्यायालय प्रतिवादी की गिरफ्तारी के लिए और न्यायालय के समक्ष हेतु संदर्शित करने के लिए कि उससे क्यों न उसकी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति ली जाय] एक अधिपत्र निकाल सकेगा] यदि बाद के किसी प्रक्रम से न्यायालय का समाधान हो जाय कि

(a) प्रतिवादी वादी को विलम्बित करने या न्यायालय की किसी आदेशिका से बचने या किसी डिक्री के निष्पादन को बाधित या विलम्बित करने के आशय से

1] न्यायालय की स्थानीय सीमाओं से पलायन कर गया है या उन्हें छोड़ गया है I या

2- न्यायालय के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं से पलायन करने वाला है या छोड़ने वाला है] या

3- अपनी सम्पत्ति को या उसके किसी भाग को व्ययित कर चुका है] या न्यायालय के स्थानीय सीमाओं से हटा चुका है] या

(b) प्रतिवादी ऐसी परिस्थितियों के अधीन भारत छोड़ने वाला है जिससे यह युक्तियुक्त सम्भाव्यता प्रकट हो कि वादी पारित होने वाले डिक्री को बांधित या विलम्बित करने के लिए ऐसा किया हो।

यदि प्रतिवादी अधिपत्र में उल्लिखित धनराशि पदाधिकारी को दे देता है तो वह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

tब प्रतिवादी ऐसा हेतु संदर्शित करने में असफल रहता है तो न्यायालय या तो किसी धन या सम्पत्ति को न्यायालय में निक्षिप्त करने के लिए समाहूत किये जाने पर अपनी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति देने के लिए आदेश दे सकेगा ऐसा अन्य आदेश दे सकता है जैसा उचित समझे।

1- निर्णय से पूर्व कुर्की& यदि-बाद के किसी प्रक्रम पर न्यायालय का समाधान शपथपत्र द्वारा या अन्यथा हो काता कि प्रतिवादी किसी डिक्री के निष्पादन को बाधित करने या विलम्बित करने के आशय से अपनी पूरी सम्पत्ति या किसी भाग को हस्तान्तरित करने वाला है या न्यायालय की स्थानीय सीमाओं से हटा देने वाला है, तो न्यायालय प्रतिवादी को निर्देश देगा कि उक्त के लिए प्रतिभूति दे या यह हेतु संदर्शित करे कि उसे प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिये। यह भी आदेश देगा कि उल्लिखित सम्पत्ति की सशर्त कुर्की की जाये। यदि उक्त उपबन्धों का पालन किये बिना कुर्को की जाती है तो कुर्की शून्य होगी।

पालघर रोलिंग मिल्स प्रा० लि० बनाम विश्वेश्वरेया आयरन स्टील लि० और अन्य वाद में कर्नाटक हाई कोर्ट ने धारित किया कि आदेश 38 का नियम 5 का प्रावधान आज्ञापक है और इनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इनकी अवहेलना करके पारित किया गया आदेश शून्य होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के प्रावधान वहाँ लागू नहीं होते, जहाँ किसी विषय पर विशिष्ट प्रावधान उपलब्ध हों।

यदि प्रतिवादी नियत समय के अन्दर यह हेतु संदर्शित नहीं करता कि उसे उक्त सम्पत्ति के लिए क्यों प्रतिभूति नहीं देनी चाहिये या प्रतिभूति नहीं देता है तो न्यायालय आदेश देगा कि उक्त सम्पत्ति [1:13 pm, 01/11/2021] कुर्क कर तो जाये। जब प्रतिवादी हेतु-संदर्शित करता है या अपेक्षित प्रतिभूति देता है तो कुर्की प्रत्याहत करने का आदेश देगा या ऐसा अन्य आदेश देगा जैसा वह ठीक समझता है। अन्यथा अभिव्यक्तरूपेण के अतिरिक्त कुर्की उस रीति से की जायेगी जैसा डिक्री के निष्पादन में सम्पत्ति को कुर्की के लिए उपबन्धित है। निर्णय के पूर्व कुर्क की गई सम्पत्ति के दावे का न्याय निर्णयन धन के संदाय के लिए डिक्री निष्पादन में कुर्क की गई सम्पत्ति के दावों की तरह किया जायेगा।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

जब प्रतिभूति दे दी जाती है या बाद अपास्त कर दिया जाता है तो कुर्की को प्रत्याहृत करने का आदेश न्यायालय पारित करेगा। निर्णय के पूर्व कुर्की से न तो परजनों के अधिकार प्रभावित होंगे और न विक्रम के लिए आवेदन करने से डिक्रीधारी वर्जित होगा। निर्णय के पूर्व कुर्क की गई। सम्पत्ति डिक्री के निष्पादन में पुनः कुर्क नहीं की जायेगी। कृषक उपज निर्णय में में पूर्व कुक करने योग्य नहीं होगी। लघुवाद न्यायालय स्थावर सम्पत्ति को कुर्क न करेगा (आदेश 38, नियम 5-13।

प्र अकिचंन से क्या अभिप्राय है? इस रूप में वाद प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय किन परिस्थितियों में अनुमति देगा और कब नहीं देगा, समझाइए।

Define the term 'Indigent person' Describe the procedure and circumstances whele by the court may permit or refuse to sue in such capality.

उ - **स्पष्टीकरण -**कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति तब है

क (जब उसके पास इतना पर्याप्त साधन) डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त सम्पत्ति से और वाद की विषय वस्तु से भिन्न (नहीं है कि वह ऐसे बाद में बाद पत्र के लिए विधि द्वारा विहित फीस दे सके]

अथवा

ख (जहाँ ऐसी कोई फीस विहित नहीं है वहाँ, जब वह एक हजार रुपये के मूल्य का ऐसी सम्पत्ति का] जो डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त सम्पत्ति से और बाद की विषय वस्तु से भिन्न है हकदार नहीं है] आदेश 33 नियम 1

आवेदन पर न्यायालय की कार्यवाहियाँ

1- **आवेदन की अस्वीकृति -** न्यायालय निम्नलिखित आधारों पर आवेदन को अस्वीकार कर

क (जहाँ कि आवेदन नियम 2 और 3 में विहित रीति से विरचित या प्रस्तुत नहीं किया गया

ख (जहाँ कि आवेदक निर्धन व्यक्ति नहीं है] या

ग (जहाँ कि उसने आवेदन प्रस्तुत करने के ठीक पहिले वाले दो महोनों के भीतर कपट-पूर्वक या निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए अनुमति प्राप्त करने में समर्थ होने की दृष्टि से किसी सम्पत्ति का व्ययन किया हो।

परन्तु यदि आवेदक द्वारा व्ययनित सम्पत्ति के मूल्य को हिसाब में लेने पर भी आवेदक निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने का हकदार हो, तो कोई आवेदन नामंजूर नहीं किया जायेगा।

घ (जहाँ कि उसके अभिकथनों से वाद-हेतु दर्शित नहीं होता, या

ङ (जहाँ कि उसने प्रस्थापित वाद की विषय-वस्तु के के बारे में ऐसा कोई करार किया है जिससे कि ऐसी विषय-वस्तु में किसी अन्य व्यक्ति का कोई हित अभिप्राप्त हो गया हो] या

च (जहाँ कि आवेदन में आवेदक द्वारा किए गये अभिकथनों से यह दर्शित होता है कि वाद तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा वर्जित है, अथवा छ(जहाँ कि किसी अन्य व्यक्ति ने मुकदमेबाजी के वित्तपोषण के लिए उसके साथ करार किया है] आदेश 33, नियम 5]।

2- आवेदन ग्रहण कर लिये जाने पर प्रक्रिया & यदि आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाता तो न्यायालय निम्न रूप से अग्रसर होगा

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

क (न्यायालय निर्धनता के खिलाफ साक्ष्य सुनने के लिए दिन नियत करेगा] जिसको पूरे दस दिन की सूचना विरोधी पक्षकार और सरकारी अधिवक्ता को दी जायगी] नियम 6]

ख (न्यायालय ऐसे नियत दिन को दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गए साक्षियों की परीक्षा करके उनके साक्ष्य के सार का ज्ञापन तैयार करेगा। साक्षियों की परीक्षा नियम 5 के खण्ड) ख((ग (और) ङ (में विनिर्दिष्ट विषयों तक ही सीमित रखी जायगी। किन्तु आवेदक या उसके अभिकर्त्ता की परीक्षा उक्त नियम में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय के सम्बन्ध में हो सकेगी। न्यायालय इस प्रश्न पर बहस भी सुनेगा कि क्या आवेदक निर्धन व्यक्ति है अथवा नहीं और न्यायालय आवेदक के रूप में बाद लाने की अनुमति प्रदान करेगा या अनुमति प्रदान करने से इन्कार करेगा।] नियम 7]

ग (जहाँ कि आवेदन स्वीकार कर लिया गया है वहाँ वह संख्यांकित और पंजीकृत किया जायगा और बाद में का वाद-पत्र समझा जायगा और इसके सिवाय कि वादी वाद से सम्बद्ध किसी याचिका, अभिवक्ता की नियुक्ति या अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में) आदेशिका की तामील के लिये देय शुल्क से भिन्न (किसी न्यायालय फीस को चुकाने के दायित्वाधीन नहीं होगा, वाद साधारण रूप में संस्थित किये गए वाद के रूप में अग्रसर होगा।] नियम 8]

अनुमति का वापस लिया जाना प्रतिवादी या सरकारी अधिवक्ता द्वारा बादी को पूरे सात दिन की लिखित सूचना देकर निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिये दी गई अनुमति की वापसी के लिए आवेदन अग्रलिखित आधारों पर दिया जा सकेगा:

क (यदि वादी वाद के दौरान तंग करने वाले अनुचित आचरण का दोषी है] या

ख (यदि वादी के साधन इस प्रकार के हैं कि उसकी अकिंचनता को चालू न रखना चाहिये, या

ग (यदि वादी ने कोई ऐसा करार कर लिया है जिसके अधीन किसी अन्य व्यक्ति ने बाद की विषय-वस्तु में कोई हित अभिप्राप्त कर लिया है] आदेश 33, नियम 9]।

तंग करने वाला और अनुचित कृत्य) आचरण (का अर्थ सम्पत्ति का कपटपूर्ण छिपाव होता है। कुछ सम्पत्तियों के उल्लेख में कोई चूक, इस पदावली में] वादी की निर्धन के रूप में अनुमति की वापसी का पर्याप्त आधार नहीं है 62

प्र 2,3

3. अवयस्क वाद - मित्र द्वारा वाद चलायेगा-

अवयस्क द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक वाद उसके नाम से एसे व्यक्यि द्वारा संस्थित किया जायेगा जो कि एसे वाद में अवयस्क का वाद प्रतिनिधि कहलायेगा (आदेश 32, नियम 1)। अवयस्क वह व्यक्ति होता है जिसने भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 की धारा 3 के अन्तर्गत अपनी वयस्कता नहीं प्राप्त की है। जो व्यक्ति 18 वर्ष की अवस्था प्राप्त नही किया है उसे अवयस्क कहा जायेगा। जिसकी सम्पत्ति किसी कोर्ट आॅफ वार्डस के अधीन है, व्यस्क होने की आयु 21 वर्ष के पूर्ण होने पर होती है। जो व्यक्ति अवयस्क का प्रतिनिधि होता है, उसे स्वस्थपित वाला होना चहिए और जो वयस्क हो तथा उसका हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल न हो। जहाॅ कोई वाद किसी वाद मित्र के बिना संस्थित किया जाता है, वहाॅ वाद पत्र पत्रावली से निकाल दिया जायेगा और साथ ही उस अधिवक्ता या दूसरे व्यक्ति द्वारा उसका खर्च भी दिया जायेगा जिसने उसे प्रस्तुत किया था। (आदेश 32 नियम 2

जहाॅ प्रतिवादी अवयस्क है, वहाॅ न्यायालय उसकी अवयस्कता के तथ्य के बारे में अपना समाधान हो जाने पर समुचित व्यक्ति को एसे अवयस्क के लिए वादार्थ संरक्षक नियुक्त करेगा। (आदेश 32, नियम 3)

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

एसा आदेश अवयस्क के नाम में और उसकी ओर से या वादी द्वारा किये गये आवेदन पर प्राप्त किया जा सकेगा। एसा आवेदन इस तथ्य को सत्यापित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्पित होगा कि जो बाते विवादस्पद है, उसमें अवयस्क के हित के प्रतिकूल कोई हित संरक्षक का नहीं है और एसे नियुक्त किये जाने के लिए ठीक है। एसी आदेश उसमें अवयस्क के हित के प्रतिकूल कोई हित संरक्षक का नहीं है और एसे नियुक्त किये जोन के लिए ठीक है। एसी आदेश असके किसी संरक्षक को या माता - पिता को या जहाॅ माता - पिता न हो वहाॅ उस व्यक्ति के जिसकी देख-रेख में है उसको सूचना देकर और यदि कोई आपत्ति है तो उसको सुनने के पश्चात दिया जायेगा। इस प्रकार का नियुक्त संरक्षक वाद से उद्भूत सभी कार्यवाहियों के दौरान एसी हैसियत में बना रहेगा।

जहाॅ वाद वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा नहीं हुआ है, उसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा और जहाॅ कि जिस प्रकार की प्रेरणा पर वैसा आदेश किया गया है उस पक्षकार का अधिवक्ता एसी-एसी अवयस्कता के तथ्य को जानता था युक्तियुक्तपूर्वक जा सकता था वहाॅ खर्च एसे अभिवक्ता द्वारा दिया जाएगा। (आदेश 32 नियम 5)

2. वाद मित्र द्वारा प्रतिभूति का दिया जाना- जहाॅ कि अवयस्क की ओर से उसके वाद- पत्र द्वारा वाद संस्थित किया जाता है, वहाॅ न्यायालय वाद के किसी प्रक्रम पर या तो स्वप्रेरणा से या किसी प्रतिवादी के आवेदनपत्र पर और अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वाद-मित्र को यह आदेश दे सकेगा कि वह प्रतिवादी द्वारा उपगत या उपगत किये जाने के लिए संभाव्य सभी खर्चो के संदाय के लिए प्रतिभूति दे। यदि निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद संस्थित किया जाता है, वहाॅ प्रतिभूति के अन्तर्गत सरकार को संदेय न्यायालय फीस है।अवयस्क कौन है -इस आदेश में "अवयस्क "से वह व्यक्ति, जिसने भारतीय वयस्कता अधिनियम] 1875 की धारा 3 के अन्तर्गत अपनी वयस्कता प्राप्त नहीं की है] वहाँ अभिप्रेत है जहाँ कि बाद उस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड) क (और) ख (में वर्णित विषयों में से किसी विषय या किसी अन्य विषय के सम्बन्ध से है। 18 वर्ष से कम अवस्था का कोई व्यक्ति एक अवयस्क होता है जिसके शरीर एवं सम्पत्ति का कोई अभिभावक किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है जिसको सम्पत्ति कोर्ट्स ऑफ वाइस की देख-रेख में होती है और उस अवस्था में वयस्कता की आयु 21 वर्ष समाप्त करने पर प्राप्त होगी। चूँकि कोई अवयस्क किसी वाद के अभियोजन करने अथवा प्रतिवाद करने में अयोग्य समझा जाता है इसलिये यह कार्य वाद के लिये किसी वयस्क व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिये, अवयस्क वादी की अवस्था में उसे अनन्य हितैषी (next friend) और किसी अवयस्क प्रतिवादी की अवस्था में उसे वादार्थ संरक्षक कहा जाता है।

अवयस्कों से सम्बन्धित उपबन्ध विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्तियों या न्यायालय में किसी मामले में प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानसिक रुग्णता के कारण अपने हितों की रक्षा करने में अयोग्य व्यक्तियों को भी लागू होते हैं। वे सर्वोच्च) संप्रभु (राजकुमार अथवा मुख्य शासनकर्त्ता के द्वारा अपने राज्य के नाम में या अभिकर्ता के नाम में या किसी अन्य के नाम में वाद दायर करने अथवा वाद दायर किये जाने में लागू नहीं होते। वह अवयस्कों, प्रतिभुओं आदि के द्वारा या खिलाफ लाये जाने वाले वादों के सम्बन्ध में किसी स्थानीय विधि के किसी उपबन्ध को प्रभावित या अल्पीकृत नहीं करते।

- किसी अवयस्क या उन्मत्त व्यक्ति द्वारा वाद का दायर किया जाना

1 एक अवयस्क या उन्मत्त व्यक्ति के नाम में एक ऐसे अनन्य हितैषी द्वारा वाद दायर किया जायगा जो वयस्क और स्वस्थ चित्त का व्यक्ति हो और जिसका हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल न हो] आदेश 32 नियम 4]

2 यदि कोई वाद किसी अवयस्क या उन्मत्त व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जाता है तो न्यायालय वाद को खारिज कर देगा और खर्चा उस वाद को दाखिल करने वाले अधिवक्ता द्वारा दिया जायगा] आदेश 32नियम 2]

3 यदि अनन्य हितैषी द्वारा दायर किया गया वाद अयुक्तियुक्त हो तो न्यायालय उसे खारिज कर सकेगा और उस अनन्य हितैषों को सभी खर्च की देनगी करने के लिये आदेश दे सकेगा] आदेश 32 नियम 14]

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

4 किसी योग्य व्यक्ति को अपने उत्तराधिकारी के रूप में उपाप्त) Procure) किये बिना और खर्चों के लिये प्रतिभूति दिये बिना कोई अनन्य हितैषी वाद से निवृत्त) retire) नहीं हो सकता] आदेश 32 नियम 8

5 किसी अनन्य हितैषी को निवृत्ति या मृत्यु या उसके हटाये जाने पर बाद में आगे की कार्यवाही तब तक के लिये रोक दी जायगी जब तक कि दूसरे अनन्य हितैषी की नियुक्ति न हो जाय] आदेश 32, नियम 10]

अवयस्क या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के खिलाफ वाद बिना किसी वादार्थ संरक्षक के किसी अवयस्क के खिलाफ कोई डिक्री शून्य होती है और उसके खिलाफ प्रवर्तित नहीं की जा सकती? तथा वह प्राड्न्याय के रूप में लागू नहीं हो सकती 28 उसी प्रकार किसी विकृत चित्त वाले व्यक्ति के खिलाफ बिना उसके संरक्षक को नियुक्ति के पारित की गई कोई डिक्री अवैध एवं प्रारम्भ से ही शून्य होती है 29 संरक्षक एवं तेरह वर्ष से अधिक आयु के अवयस्क, जिसकी इच्छाओं पर विचार अवश्य किया जाना

प्र. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short notes on the folloing-

1) एकपक्षीय डिक्री के सम्बन्ध में) In relation to ex parte decree) –ऐसे किसी मामले में, जिसमें कि डिक्ली प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय दी गई है, प्रतिवादी उस न्यायालय से उसे अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा जिसके द्वारा कि वह डिक्री दी गई हैं, और यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि सम्मन की तामील सम्यक्रूपेण) duly) नहीं की गई थी या वह उस समय, जब कि वाद की सुनवाई के लिए पुकार पड़ी थी, किसी पर्याप्त हेतु से उपसंजात होने से प्रतिवारित था तो न्यायालय व्यय की देनगी के सम्बन्ध में या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जैसा उचित समझता है, आदेश देगा कि डिक्री अपास्त कर दी जाये और बाद आगे चलाने के लिए दिन नियत करेगा) आदेश 9, नियम 13) परन्तु जहाँ कि डिक्री ऐसे स्वरूप की है कि वह वहाँ तक, जहाँ तक कि केवल ऐसे प्रतिवादी का प्रश्न है अपास्त नहीं की जा सकती तो वह वहाँ तक भी, जहाँ तक कि अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी का प्रश्न है, अपास्त की जा सकेगी। यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई के दिनांक की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए तथा वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि सम्मन की तामील में अनियमितता) irregularity) हुई थी। जहाँ कि इस नियम के अधीन पारित एकपक्षीय डिक्री) ex parte decree) के विरुद्ध अपील की गई है और अपील का निपटारा, अपीलार्थी के द्वारा अपील की वापसी) withdrawal) के अतिरिक्त किसी भिन्न आधार पर कर दिया गया है, वहाँ उस एकपक्षीय डिक्की को अपास्त करने के लिए इस नियम के अधीन कोई आवेदन नहीं होगा) स्पष्टीकरण(।

किसी प्रतिवादी को, जिसके विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित की गई है, निम्नलिखित उपाय प्राप्त

(अ (वह धारा 96 में एकपक्षीय डिक्री के विरुद्ध अपील कर सकता है; या

(ब (वह आदेश 47, नियम 1

(c) के अधीन पुनर्विचार) review) के लिए आवेदनपत्र है, या दे सकता

(स (वह इस प्रावधान) आदेश 9 नियम 13) के अन्तर्गत एकपक्षीय डिक्री को रद्द) set aside) करने के लिए आवेदन कर सकता है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

धोखे से प्राप्त एकपक्षीय डिक्री के विरुद्ध एक नियमित वाद) regular suit) चलाया जा सकता है। यह नियम डिक्री के निष्पादन)execution) के सम्बन्ध में लागू नहीं होता है।

यदि प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित की जाती है और प्रतिवादी पर्याप्त कारणों से बाद में हाजिर होने और प्रतिवाद करने से निवारित) restrained) हुआ हो तो उसके द्वारा आवेदन किए जाने पर वह एकपक्षीय डिक्री अपास्त की जा सकती है। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 संहिता के आदेश 9 के नियम 13 के अधीन विलम्ब माफ करने के लिए आवेदन को लागू होती है, अत :ऐसे आवेदन की सनुवाई के लिए लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 17 की शर्तों का परिसीमा अवधि समाप्त होने से पूर्व ही, पूरा होना आवश्यक नहीं है यदि आदेश 5 नियम 2 के अधीन रजिस्टर्ड पोस्टकार्ड द्वारा दिए गये नोटिस में उल्लिखित विवरण वाद-पत्र का संक्षिप्त कथन नहीं है तो ऐसे नोटिस को आदेश 9 नियम 13 के प्रयोजनों के लिए सम्मन की सम्यक् तामील नहीं माना जा सकती

बी० जानकीरमैया चेट्टी बनाम ए० के० पार्थसारथी' में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या आदेश 9 के अन्तर्गत उपचार समाप्त हो गया है अथवा नहीं, यह देखना आवश्यक है कि क्या प्रथम दृष्टया न्यायालय ने आदेश 17 के नियम 2 के स्पष्टीकरण को देखा कि नहीं। जब वादी और प्रतिवादी के साक्ष्य को बन्द कर दिया गया, बाद अन्तिम सुनवाई के लिए पुकारा गया और उस दिन प्रतिवादी अनुपस्थित रहा और उस दिन न्यायालय ने डिक्क्रो पारित किया जिसमें इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता कि किस साक्ष्य का मूल्यांकन किया गया और /अथवा क्या गुणदोष) merits) सिर्फ परीक्षित किया गया, यह नहीं कहा जा सकता कि आदेश 17 की धारा 2 के स्पष्टीकरण के अनुसार गुण-दोष के आधार पर वाद निर्णीत किया गया और इसलिए आदेश 9 का नियम 13 लागू नहीं होगा।

(1) जहाँ किसी वाद में या कार्यवाही में न्यायालय के समक्ष संस्थित है या संस्थित की जाने वाली है जिसमें कोई आवेदन किया गया है या किये जाने की आशा है, वहाँ कोई व्यक्ति जो ऐसे आवेदन पर न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने का दावा करता है, उस सम्बन्ध में एक आपत्तिपत्र)caveat) प्रस्तुत कर सकता है।

(2) जहाँ उपधारा) 1) के अधीन आपत्ति प्रस्तुत की गई है वहाँ वह व्यक्ति जिसके द्वारा आपत्ति) caveat) प्रस्तुत की गई है, जिसे आपत्तिकर्ता कहा जायेगा (आपत्ति) caveat) की एक सूचना पंजीकृत डाक) registered post) द्वारा प्राप्ति की रसीद)acknowledgement due) के सहित उस व्यक्ति को तामील करेगा जिसके द्वारा आवेदन किया गया है या आवेदन करना आशयित है।

)3) जहाँ कोई आपत्ति प्रस्तुत कर दी गयी है उसके बाद किसी वाद या कार्यवाही में आवेदन संस्थित किया गया है, वहाँ उस आवेदन की एक सूचना न्यायालय द्वारा दी जायेगी।

(4) जहाँ किसी आपत्ति की सूचना आवेदक को दी गई है, वहाँ वह तुरन्त आपत्तिकर्ता के खर्चे पर उसे अपने द्वारा दिये गये आवेदन की एक प्रति तामील करायेगा और उन अभिलेखों की प्रति भी तामील करायेगा जिसे उसने अपने आवेदन के समर्थन में दे रखा है अथवा जिसे वह दे सकता है।

(5) उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई आपत्ति, आपत्तिपत्र प्रस्तुत किये जाने के दिनाडू से 90 दिन के उपरान्त प्रवर्तित न रहेगी जब तक कि उपधारा) 1) में उल्लिखित आवेदन को कथित
अवधि के समाप्ति से पूर्व संस्थित न कर दिया गया हो।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

1976 के संशोधन अधिनियम के द्वारा उक्त प्रावधान जोड़ दिया गया है। एकपक्षीय आदेश को अवरुद्ध करने के लिए नया प्रावधान जोड़ा गया है। यह प्रावधान उस व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है जो इस बात का दावा करता है कि उसे आवेदन की सुनवाई के समय न्यायालय में अपने को उपसंजात करने का अधिकार प्राप्त है। आपत्तिपत्र प्रस्तुत करके उसका उत्तर पूर्वानुमान कर के दे सकता है। आपत्ति अनिश्चित समय तक प्रभावी न रहने देने के लिए 90 दिनों की सीमावधि निर्धारित कर दी गई है।

कैवियट प्रस्तुत करने वाला जब न्यायालय में कैवियट प्रस्तुत करता है तो यह न्यायालय को सावधान करने के लिए दी जाने वाली सूचना होती है जिससे न्यायालय कैवियटकर्ता) आपूर्तिकर्ता (को सूचना दिए बिना किसी मामले में कोई एकपक्षीय कार्यवाही नहीं कर सकता। यह एक सुरक्षात्मक उपाय है जिसे सिविल न्यायालयों में लागू किया गया है जिससे आपत्तिकर्ता) कैवियटकर्ता (अपने हित की रक्षा कर सके।

प्रेसर्स हावड़ा इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम श्री सचीन्द्र मोहन दास गुप्ता के बाद में न्यायालय के कारबार का अन्तरण और प्रतिभू के दायित्व का प्रवर्तन-बन्धकित सम्पदा के बन्धकार के प्रापक) Receiver) की उपेक्षा के कारण अग्नि लगने से बन्धककर्ता की सम्पदा को नुकसान पहुँचा। बन्धककर्ता द्वारा बन्धकदार से नुकसानी की पूर्ति तथा उसके प्रापक से प्रतिभूति की माँग करते हुए आवेदन फाइल किया गया। बन्धकदार द्वारा सम्बन्धित जिला न्यायाधीश के, उसके उत्तराधिकारियों, पदोत्तरवर्तियों और समनुदेशितियों के पक्ष में अपेक्षित प्रतिभू-बन्धपत्र का निष्पादन किया गया। जिला न्यायाधीश द्वारा प्रश्नगत बन्धकवाद को अपने अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय में अन्तरित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बन्धक-बाद की डिक्री का बन्धककर्ता के पत्र में किया गया। बन्धकदार द्वारा यह आक्षेप किया जाना कि चूंकि अधीनस्थ न्यायाधीश जिलाधीश का उत्तराधिकार पदोत्तरवर्ती या समनुदेशिति नहीं है इसलिए यह नुकसानी की रकम वसूल करने विषयक आदेश नहीं दे सकता

(1) जहाँ कि किसी न्यायालय का कारबार किसी अन्य न्यायालय को अन्तरित कर दिया गया हो वहाँ जिस न्यायालय को कारबार ऐसे अन्तरित किया गया हो, उसकी वही शक्तियाँ होंगी और वह उन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करेगा जैसे कि उस न्यायालय को क्रमशः प्रदत्त और अधिरोपित थे

(11) जहाँ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर न्यायालय को किसी डिक्री या आदेश के अधीन अधिरोपित शर्व की पूर्ति के लिए प्रतिभू के रूप में दायित्वाधीन हो जाता है वहाँ वह उस डिक्री या आदेश को उसके वैयक्तिक दायित्व की सीमा तक, डिक्रियों के निष्पादनार्थ उपबन्धित के अनुसार ही निष्पादित किया जा सकेगा।

(i) वैधानिक प्रतिसादन) Legal Set-off)- जहाँ धन की वसूली) recovery of money) के लिए बाद में प्रतिवादी न्यायालय के क्षेत्राधिकार की आर्थिक सीमाओं से अधिक न होने वाली धन की कोई अभिनिश्चित धनराशि) ascertained sum) जो कि वादी से प्रतिवादी द्वारा वैधरूपेण प्रत्युद्धरणीय या वसूल करने योग्य) recoverable) है, वादी की माँग के विरुद्ध प्रतिसादन) set-off) करने का दावा करता है और दोनों पक्षकार वही हैसियत) same character) रखते हैं जो कि उनकी वादी के बाद में है, वहाँ प्रतिवादी चाहे गये प्रतिसादन की विशिष्टियाँ) particulars) रखने वाला लिखित कथन वाद की पहली सुनवाई समय) at the time of first hearing) उपस्थित कर सकेगा, किन्तु तत्पश्चात् तब तक उपस्थित न कर सकेगा, जब तक न्यायालय द्वारा उसे ऐसा करने के लिए अनुशा न दे दी गई हो।

लिखित कथन का प्रभाव प्रतीप-वाद) cross suit) में के वाद-पत्र के प्रभाव के समान ही होगा जिससे कि न्यायालय मूल दावे और प्रतिसादन दोनों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय देने के लिए समर्थ हो जाए, किन्तु आज्ञप्त किये गये धन पर किसी अभिवक्ता का वह संधारणाधिकार इससे प्रभावित न होगा जो कि डिक्री के अधीन उसे देय खर्चों के बारे में उसका होता है। प्रतिवादी द्वारा दिये गये लिखित कथन सम्बन्धी नियम

प्रतिसादन के दावे के उत्तर में दिये गये लिखित कथन को भी लागू होते हैं। कोई प्रतिवादी इस नियम के अधीन प्रतिसादन का दावा तभी कर सकता है जब कि निम्नलिखित_शर्तें पूर्ण हो

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

)1) वह वाद घन की वसूली) recovery of money) के लिये हो,

(2) वाद अभिनिश्चित धनराशि) ascertained sum of money) की वसूली के

)3) ऐसा धन वैधानिक रूप से) legally) वसूली करने योग्य हो, लिये हो,

(4) ऐसा धन प्रतिवादी या सभी प्रतिवादियों) यदि कई प्रतिवादी हों (द्वारा वसूल करने योग्य हो,

(5) ऐसा धन प्रतिवादी द्वारा वादी या वादियों) यदि कई वादी हों (के विरुद्ध वसूल करने योग्य हो,

(6) जिस न्यायालय में वाद लाया जाता है उसके आर्थिक क्षेत्राधिकार) pecuniary jurisdiction) की सीमा का अतिक्रमण न हो,

(7) दोनों पक्षकार उसी हैसियत) same character) को पूरा करते हों। इन विशिष्टताओं की व्याख्या निम्नलिखित ढंग से की जा सकती है

)1) धन की वसूली) Recovery of money)-वैधानिक प्रतिसादन की प्रथम शर्त है कि वाद धन की वसूली के लिये होना चाहिये। इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार के बाद में वैधानिक प्रतिसादन सम्भव नहीं है।

(2) अभिनिश्चित धनराशि) Ascertained sum of money)-अभिनिश्चित धनराशि का तात्पर्य बादी के द्वारा स्वीकृत धनराशि से नहीं है। यह अनिश्चित क्षतिपूर्ति के विरोध में प्रयोग किया गया है। प्रतिवादी द्वारा वादी के विरुद्ध अनिश्चित क्षतिपूर्ति के लिये प्रतीप बाद संस्थित किया जा सकता है। दृष्टान्त) a) A, 500 रुपये के लिये विनिमय-पत्र) Bill of exchange) के आधार पर B पर [2:31 pm, 01/11/2021] Bhupendra Singh: बाद संस्थित करता है। A के विरुद्ध 1000 रुपये के लिए निर्णय B के पास है। चूंकि ये दोनों दावे अभिनिश्चित धनराशि की डिक्री अर्थ सम्बन्धी माँगे हैं, इसलिये इन दोनों का प्रतिसादन किया जा सकेगा।

(b) A, अतिचार) Thespass) के आधार पर प्रतिकर के लिये B पर बाद संस्थित करता है। B के पास A का 1000 रुपये का वचन-पत्र)promissory note) है और यह दावा करता है कि यह धन ऐसी किसी धनराशि के विरुद्ध जो कि बाद में A को दिखाई जाये प्रतिसादन कर दिया जाये B ऐसा कर सकेगा, क्योंकि जैसे ही A के पक्ष में वह घनराशि निकलती है, वैसे ही ये दोनों राशियाँ निश्चित आर्थिक माँगें हो जाती हैं।

(c) B पर विनिमयपत्र) Bill of exchange) के आधार पर A बाद लाता है। B अभिकथन करता है कि A ने B के मालों का बीमा)insurance of goods) कराने में दोषपूर्ण उपेक्षा की है और A उसे प्रतिकर देने के दायित्वाधीन है। इस प्रतिकर का प्रतिसादन करने के लिये B दावा करता है। चूंकि यह धनराशि अभिनिश्चित नहीं है, इसलिये इसका प्रतिसादन नहीं किया जा सकता।

(3) वैधानिक रूप से वसूली योग्य धनराशि) Amount legally Recoverable)- प्रतिसादन के रूप में दावाकृत धनराशि वैधानिक रूप से वसूल करने योग्य होनी चाहिये। यदि प्रतिवादी का दावा लिखित कथन प्रस्तुत करने के समय मर्यादा विधि द्वारा वर्जित है तो इस नियम के अन्तर्गत प्रतिसादन का अभिवचन नहीं किया जा सकता।

(4) प्रतिवादी या प्रतिवादियों द्वारा वसूली योग्य धनराशि) Amount Recoverable by defendant (s) प्रतिवादी या सभी प्रतिवादियों)यदि एक से अधिक प्रतिवादी हों (द्वारा धनराशि वसूली करने योग्य होनी चाहिए।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

दृष्टान्त-B और C के विरुद्ध 1000 रुपये के लिये A वाद लाता है। B अपने उस अण का प्रतिसादन नहीं कर सकता जो कि अकेले अपने को ही A द्वारा देय है।

(5) वादी या वादियों के विरुद्ध वसूली योग्य धनराशि) Amount Recoverable against Plaintiff (s) प्रतिवादी द्वारा वादी या वादियों) यदि एक से अधिक वादी हो (के विरुद्ध धनराशि वसूल करने योग्य होनी चाहिये। जहाँ प्रतिवादी के ऊपर अभिकर्ता के द्वारा बाद संस्थित किया गया है वहाँ वह प्रधान द्वारा देय धनराशि का प्रतिसादन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रधान वादी नहीं है।

दृष्टान्त - A और B 1000 रुपये के लिए C पर बाद लाते हैं। कर सकता जो कि केवल A द्वारा उसे देय है।

C उस ऋण का प्रतिसादन नहीं

(6) न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमा के अन्तर्गत) Within Pecuniary Jurisdiction of Court)-दावाकूत धनराशि उस न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमा के अतिक्रमण में नहीं होनी चाहिये जिसमें वाद संस्थित किया जाता है।

(7) वही हैसियत) Same Character)- प्रतिसादन के विषय में दोनों पक्षकारों की वही हैसियत होनी चाहिये। जिस हैसियत से वादी ने दावा किया है वही हैसियत प्रतिवादी की भी होनी चाहिये।

दृष्टान्त) a) A, B को 2000 रुपये का उत्तरदान) bequeaths) करता है और C को अपना निष्पादक) executor) और अवशिष्ट रिक्थग्राही) residuary legatee) नियुक्त करता है। B मर जाता है और B के सम्पत्ति का प्रशासन) administration) D ग्रहण करता है। C, D के प्रतिभू के रूप में 1000 रुपये देता है, तब C पर रिक्थ) legacy) के लिये D वाद लाता है। C रिक्य के विरुद्ध 1000 रुपये के ऋण का प्रतिसादन नहीं कर सकता क्योंकि रिक्य के सम्बन्ध में न तो Cऔर न D की ही वैसी हैसियत है जैसी कि उनकी 1000 रुपये की देनगी के सम्बन्ध में है।

ग्प्प्ण् अन्तराभिवचनीय वाद

(INTERPLEADER SUITS) (बारा 88 तथा आदेश 35) जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक हो ऋण, धनराशि या अन्य जंगम स्थावर सम्पत्ति के विषय में परस्पर विरोधी दावा ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो कि प्रभारों या खर्चों से भिन्न किसी हित का उसमें दावा नहीं करता है, और जो अधिकारवान दावेदार को उसे देने या परिदान करने के लिए तैयार, है, तो ऐसा दूसरा व्यक्ति समस्त ऐसे दावेदारों के विरुद्ध अन्तराभिवचनीय बाद) interplcader suit) उस व्यक्ति के विषय में, जिसे कि देनगी या परिदान किया जायेगा, विनिश्चय अभिप्राप्त करने और अपने लिए अभय प्राप्त करने के प्रयोजन से संस्थित कर सकेगा। यदि कोई वाद लम्बित है जिसमें सभी पक्षकारों के अधिकारों का उचित रूप से विनिश्चय किया जा सकता है, वहाँ ऐसा कोई अन्तराभिवचनीय वाद संस्थित नहीं किया जायेगा) धारा 88)।

अन्तराभिवचनीय वाद का वर्जन-कोई अन्तराभिवचनीय वाद यहाँ नहीं संस्थित किया जायेगा जहाँ कोई बाद लम्बित है जिसमें पक्षकारों के अधिकार उचित रूप से विनिश्चित किए जा सकते हो।

यह अभिकर्त्ताओं को अपने मालिकों पर या असामियों को अपने भूस्वामियों पर ऐसे किन्हों व्यक्तियों से जो ऐसे मालिकों या भूस्वामियों के द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों से भिन्न हैं, परस्पा अन्तराभिवचन करने को मजबूर करने के लिये प्रयोजन के लिये समर्थ नहीं करती है।] आदेश 35, नियम 51

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

प्र. रिसीवर कौन होता है? रिसीवर की नियुक्ति एवं कर्तव्यों संबंधी विधि का वर्णन कीजिए।

Who is receiver? Discuss the law relating to appointment and duties of reciver.

III. आदाता की नियुक्ति) APPOINTMENT OF RECEIVER) (आदेश 40) आदाता की नियुक्ति) Appointment of receiver)- यदि न्यायालय को यह न्याय्य) just). और सुविधाजनक) convenient) प्रतीत होता है तो आदेश द्वारा

(a) किसी सम्पत्ति का आदाता) receiver) या तो डिक्री के पूर्व या पश्चात् नियुक्त कर सकेगा;

(b) किसी सम्पत्ति से किसी व्यक्ति का कब्जा या अभिरक्षा) custody) हटा सकेगा;

(c) उसे आदाता के कब्जे) possession), अभिरक्षा) custody) या प्रबन्ध) management) में रखा सकेगा और

(d) बाद संस्थित करने वादों में प्रतिरक्षा) defend) करने और सम्पत्ति के प्रबन्ध) management), रक्षण) protection), परिरक्षण)preservation) एवं सुधारसम्बन्धी) improvement), उसके भाटकों) rents) और लाभों के संग्रहणसम्बन्धी ऐसे भाटकों) rents) और लाभों) profits) के उपयोजन और व्यपनसम्बन्धी और दस्तावेजों के निष्पादन सम्बन्धी सभी ऐसी शक्तियाँ जैसी कि स्वयं स्वामी की हैं, या उन शक्तियों में से ऐसी, जैसी न्यायालय उचित समझता है, आदाता को प्रदत्त कर सकेगा। यदि किसी व्यक्ति को सम्पत्ति से कब्जा या अभिरक्षा से हटाने का वर्तमान अधिकार बाद के किसी पक्षकार को नहीं है तो न्यायालय को ऐसा अधिकार नहीं होगा। आदाता की नियुक्ति न्यायालय के विवेकाधिकार में होती है किन्तु इस अधिकार का प्रयोग सावधानी और न्यायिक ढंग से तथा परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् वैधानिक सिद्धान्तों के अनुसार किया जायगा वह या तो पक्षकारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये या हानि को रोकने के लिए नियुक्त किया जाता है। आदाता एक पक्षपातरहित) impartial) व्यक्ति होना चाहिये जो उस वाद की विषय-वस्तु से सम्बन्धित न हो। उसे उतनी ही शक्ति का प्रयोग करना होता है जितना न्यायालय द्वारा प्रदत्त होता है। आदाता न्यायालय का एक प्रतिनिधि होता है। आदाता इस बात के लिए सक्षम है कि वह किरायेदार को न्यायालय की अनुमति से बेदखल) disposses) करने का वाद ला सके।'

न्यायालय आदाता की सेवाओं के लिए पारिश्रमिक) remuneration) के रूप में दी जाने वाली धनराशि को साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत कर सकेगा; (आदेश 40 नियम 2)

आदाता के कर्तव्य) Duties of receiver)- आदाता के निम्नलिखित कर्तव्य हैं

(a) सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह जो कुछ प्राप्त करेगा उसका सम्यक् लेखा देने के लिए ऐसी प्रतिभूति) यदि कोई हो(, देगा, जैसी कि न्यायालय उचित समझता है;

(b) अपने लेखाओं को ऐसी कालावधियों) periods) पर और ऐसे प्रारूप में, जैसी या जैसा कि न्यायालय निर्दिष्ट करे.

(c) अपने द्वारा वसूली योग्य धनराशि ऐसे देगा जैसे कि न्यायालय निर्दिष्ट करे, और

)d) अपनी कामत :चूक) wilful default) या घोर उपेक्षा) gross negligence) से सम्पत्ति को हुई किसी हानि के लिए उत्तरदायी होगा; (आदेश 40, नियम 3) 1 आदाता के कर्तव्यों को लागू करना) Enforcement of receiver's duties)-जहाँ कि आदाता

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

) a) अपने लेखाओं को ऐसी कालावधियों) periods) में और ऐसे न्यायालय में, जैसी या जैसा न्यायालय निर्दिष्ट कर देने में असफल रहता है, या

(b) अपने द्वारा वसूली योग्य) recoverable) धनराशि देने में असफल रहता है, जैसे कि न्यायालय निर्दिष्ट करे, या) c) अपनी कामतः चूक) wilful default) या घोर उपेक्षा) gross negligence) से सम्पति को हानि होने देता है,

वहाँ न्यायालय उसकी सम्पत्ति को कुर्क किये जाने के लिए आदेश दे सकेगा और ऐसी सम्पत्ति को बेच सकेगा और आगमों) proceeds) का उपयोजन) application) उसके द्वारा वसूली योग्य पाई गई किसी धनराशि की या किसी हानि की भरपाई) to make good any amount found to be due) करने के लिए कर सकेगा और यदि कोई अतिशेष) balance) रहे तो उसे आदाता को देगा; (आदेश 40, नियम 4) ।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW